



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.वी.-अ.-26062025-264171  
CG-WB-E-26062025-264171

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2800]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947

No. 2800]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 24 जून, 2025

**का.आ. 2866(अ).—** रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), अध्याय IV क की धारा 20 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “बुरामारा-चाकुलिया (59.96 किमी.) नई लाइन” (39.70 किमी. अनुभाग) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए अपेक्षित है एतद् द्वारा भूमि अधिग्रहण की घोषणा की जाती है।

उक्त भूमि में रुचि रखनेवाला कोई भी व्यक्ति, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

ऐसे प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, पी.ओ: साकची, पिन- 831001, झारखंड स्थित अपने कार्यालय में, लिखित रूप में देगा और उसका कारण भी बताएगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिकर्ता के माध्यम से सुनने का एक अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने और इस तरह की आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (2) के तहत।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि की भूमि योजना और अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष रेलवे परियोजना “बुरामारा-चाकुलिया (59.96 किमी.) नई लाइन” (39.70 किमी. अनुभाग) के लिए संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क) मौजा: जामशोला, थाना: घाटशिला, थाना संख्या:866, ऑंचल: बहरागोड़ा, ग्रामीण, जिला: पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	ज़मीन का किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	138	1	दोन 01	0.6556	0.1092	निज
2	139	5	दोन 01	0.0445	0.0121	निज
3	201	6	दोन 02	0.0890	0.0121	निज
4	163	7	दोन 02	0.1537	0.0202	निज
कुल :				0.9424	0.1536	

ख) मौजा: गुरुशोल, थाना: घाटशिला, थाना संख्या:947, ऑंचल: बहरागोड़ा, ग्रामीण, जिला: पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	4	1	दोन 02	0.1620	0.0770	निज
2	4	2	दोन 01	0.3119	0.1053	निज
3	9	4	दोन 02	0.3159	0.1094	निज
4	9	5	दोन 02	0.2147	0.1013	निज
5	1	6	दोन 02	0.2552	0.0446	निज
6	1	7	दोन 01	0.3281	0.2228	निज
7	11	8	दोन 01	0.3564	0.2309	निज
8	5	11	दोन 01	0.3807	0.2106	निज

9	9	12	दोन 01	0.3240	0.1215	निज
10	12	15	दोन 01	0.2268	0.0203	निज
11	12	16	दोन 01	0.0486	0.0405	निज
12	6	17	दोन 01	0.2309	0.0041	निज
13	10	23	दोन 01	0.3240	0.0162	निज
कुल :				3.4792	1.3045	

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/बीडब्ल्यूए-सीकेयू/एसआरपी/ जेएच /20क/1]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [South Eastern Railway (Construction Organization)]

### NOTIFICATION

Kolkata, the 24th June, 2025

**S.O. 2866(E).**— In exercise of Power conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), Chapter IV-A (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of “Buramara-Chakulia (59.96 Km.) new line” as “Special Railway Project” (39.70 Km. section) in the district of East Singhbhum in the state of Jharkhand, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the official Gazette, object, under sub-section (1) of the section 20D of the said Act to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, viz. District Land Acquisition Officer, East Singhbhum, Jharkhand, in his office located at the office of the Deputy Commissioner Cum District Magistrate, East Singhbhum, P.O: Sakchi, PIN- 831001, Jharkhand in writing, and shall set out the grounds thereof and Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections as per Sub-Section (2) of section 20D of the said Act.

Any order made by the District Land Acquisition Officer, East Singhbhum, Jharkhand - cum-Competent Authority under Sub-Section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans & the other details of the land covered under notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent Authority.

### SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structures for Special Railway Project of “Buramara-Chakulia (59.96 Km.) new line” (39.70 Km. section) in the district of East Singhbhum in the state of Jharkhand.

A) Mouza: Jamshola, Thana: Ghatshila, Thana No.866, Anchal: Baharagora, Rural, District: East Singhbhum, Jharkhand

Srl. No.	Khata no.	Plot no.	Kisam of the land	Plot area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Status of Ownership
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	138	1	Don 01	0.6556	0.1092	Private
2	139	5	Don 01	0.0445	0.0121	Private
3	201	6	Don 02	0.0890	0.0121	Private
4	163	7	Don 02	0.1537	0.0202	Private
Total :				0.9428	0.1536	

- B) Mouza: Gururshol, Thana: Ghatshila, Thana No.947, Anchal: Baharagora, Rural, District: East Singhbhum, Jharkhand

Srl. No.	Khata no.	Plot no.	Kisam of the land	Plot area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Status of Ownership
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	4	1	Don 02	0.1620	0.0770	Private
2	4	2	Don 01	0.3119	0.1053	Private
3	9	4	Don 02	0.3159	0.1094	Private
4	9	5	Don 02	0.2147	0.1013	Private
5	1	6	Don 02	0.2552	0.0446	Private
6	1	7	Don 01	0.3281	0.2228	Private
7	11	8	Don 01	0.3564	0.2309	Private
8	5	11	Don 01	0.3807	0.2106	Private
9	9	12	Don 01	0.3240	0.1215	Private
10	12	15	Don 01	0.2268	0.0203	Private
11	12	16	Don 01	0.0486	0.0405	Private
12	6	17	Don 01	0.2309	0.0041	Private
13	10	23	Don 01	0.3240	0.0162	Private
<b>Total :</b>				<b>3.4792</b>	<b>1.3045</b>	

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BWA-CKU/SRP/JH/20A/1]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer(Con)